<u>न्यायालय– अपर सेशन न्यायाधीश सादुलशहर, श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारी	:–	दीपा शर्मा, R.J.S. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
विविध फौजदारी प्रकरण संख्या	:–	49/2026
सी.आई.एस. नम्बर	:–	49/2026
सी.एन.आर.नम्बर	:–	RJSG240001322026

जयप्रकाश उर्फ जैपी पुत्र श्री बलराम, उम्र–25 वर्ष, निवासी–फतेहगढ़ खिलेरीबास, पुलिस थाना–हनुमानगढ़ टाऊन, जिला–हनुमानगढ़।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान ।

–अप्रार्थी

<u>जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री रविन्द्र मोदी, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री मेजर सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक– अप्रार्थी की ओर से।

–:: <u>आदेश</u> ::–

<u>दिनांकः– 12.03.2026</u>

01. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर के द्वारा पुलिस थाना–लालगढ़ जाटान के प्रकरण/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–201/2025 में प्रार्थी/अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ जैपी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को दिनांक 26.02.2026 को खारिज किए जाने पर उसकी ओर से उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया, जो पंजीबद्ध किया गया। नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। संबधित पत्रावली पेश हुई।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 15.08.2025 को परिवादिया राजवीर कौर ने पुलिस थाना लालगढ़–जाटान में हाजिर होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 15.08.2025 को शाम करीब 6.06 बजे वह मैन बस

अड्डा लालगढ़ जाटान, तहसील–सादुलशहर पर खड़ी श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक उससे कुछ दूरी पर आकर रुके, जिनमें से दो के चेहरे कपड़े से ढके थे। वे मोटरसाइकिल पर ही बैठे रहे व तीसरा युवक मोटरसाइकिल से उतरकर उसके नजदीक आया व झपटा मारकर उसके कान का एक सोने का रिंग निकालकर अपने दो अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हनुमानगढ़ की तरफ भाग गया। उक्त अज्ञात युवकों के मोटरसाइकिल पर नम्बर प्लेट भी नहीं थी –इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना –लालगढ़ जाटान में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–201/2025 दर्ज की जाकर प्रार्थी/अभियुक्त की प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित किया गया।

03. बहस जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए इस आशय का निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और उसने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुयी है और अगर पुलिस के द्वारा कोई बरामदगी दिखायी गयी है, तो वह झूठी है तथा उससे कोई बरामदगी होना भी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है, जिससे, उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा प्रकरण के समस्त गवाहान अभियोजन पक्ष के हैं, जिन्हें टेम्परविद करने का भी कोई अंदेशा नहीं है। साथ ही प्रार्थी/अभियुक्त इलाका हाजा का स्थायी निवासी है, जिसके भागने का भी कोई अंदेशा नहीं है और मुकदमे के विचारण में काफी समय लगने की प्रबल संभावना है। प्रकरण के सह–अभियुक्त को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जमानत की राहत दे दी गयी है। अंत में उनकी ओर से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

04. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुये उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

05. उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक

अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ जैपी पर इस स्तर पर दिनांक 15.08.2025 को शाम करीब 06.06 बजे मैन बस स्टैंड लालगढ़ जाटान पर उसके द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादिया राजवीर कौर का रास्ता रोककर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके कान में पहने हुए एक सोने के रिंग को झपटा मारकर निकालकर ले जाकर लूट कारित किये जाने का अभियोग है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त पर इस स्तर पर प्रथम दृष्टया धारा 126 (2) व 115 (2), 309 (4) सपठित धारा 3 (5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराधों का अभियोग है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ जैपी का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार पत्रावली पर उपलब्ध हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर मय थाना	अपराध अन्तर्गत धारा	नतीजा
1.	721/2024, पी.एस.– हनुमानगढ़ जंक्शन	309 (6), 311 बी.एन.एस.	–
2.	728/2024, पी.एस.–हनुमानगढ़ जंक्शन	309 (4) बी.एन.एस.	–
3.	651/2024, पी.एस.–हनुमानगढ़ जंक्शन	304(2) ,3 (5) बी.एन.एस.	–
4.	509/2024, पी.एस.–रावतसर	304(2) बी.एन.एस.	–
5.	531/2024, पी.एस– पीलीबंगा	304(2), 3 (5) बी.एन.एस.	–
6.	478/2024, पी.एस–सूरतगढ़	304(2), 317 (2), 3 (5) बी.एन.एस.	–
7.	487/2025, पी.एस.–पीलीबंगा	304 (2), 3 (5) बी.एन.एस.	–

इस प्रकार उक्तानुसार प्रार्थी/अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ जैपी का पत्रावली पर आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध है, परन्तु इस स्तर पर यह इसके जमानत आवेदन को खरिज किये जाने का आधार हो, ऐसा प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वह दिनांक 13.10.2025 से अभिरक्षा में है और प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में सह –अभियुक्त सुरेश उर्फ टैम्पू की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से हो चुकी है तथा प्रार्थी/अभियुक्त का मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रकरण S.B .Criminal Miscellaneous Bail Application NO.–

861/2021, Khet Singh & Ors. Versus State में अभिव्यक्त मत की रोशनी में उसके मामले से भिन्न होना नहीं प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होकर उसमें आरोप–पत्र पेश हो चुका है तथा प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है, अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ जैपी को इस स्तर पर जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

06. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ जैपी पुत्र श्री बलराम की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् 50,000/– रुपए की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25–25 हजार रुपए की राशि की दो सुदृढ़ जमानतें **(प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो –दो फोटोप्रति सहित)** विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर के संतोषप्रद पेश कर तस्दीक करवा दी जाए तथा अन्य किसी प्रकरण में उसकी आवश्यकता ना हो, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(दीपा शर्मा)

07. यह आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

VINOD KUMAR
steno Gr.II
"Authenticate Document"
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.03.12 13:02:56 +0530

(दीपा शर्मा)